रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 344] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 9, 2015/आश्विन 17, 1937
No. 344] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 2015/ASVINA 17, 1937

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(मुख्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2015

मा.सं.प्र.-III/22(1)2009/डी.आर. कोटा.—कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19वां) की धारा 5(डी) की उपधारा 7(ए) के अंतर्गत केन्द्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श कर तथा अनुमोदन के पश्चात् एतद्द्वारा प्रवर्तन अधिकारी / लेखा अधिकारी भर्ती नियम 2009 में निम्नानुसार संशोधन करते हैं :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:

(1) ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (प्रवर्तन अधिकारी / लेखा अधिकारी) (संशोधन) भर्ती नियम, 2015 कहलाएंगे।

(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान:**

पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण एवं वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में दिया गया है।

3. भर्ती की विधि, आयु सीमा एवं अन्य अर्हताएं:

भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताएं एवं इससे जुड़े अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में दिए गए हैं।

4. अयोग्यता

ऐसे व्यक्ति –

क) जो पति / पत्नी के होते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह संबंध रखते हों अथवा

ख) वे व्यक्ति जो पति / पत्नी के जीवित होते हुए भी किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह संबंध रखते हैं।

उक्त पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे :

बशर्ते कि न्यासी बोर्ड, संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति एवं दूसरे पक्ष पर लागू वैयक्तिक कानून के अंतर्गत अनुमत है एवं ऐसा करने के अन्य आधार हैं जो किसी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करते हैं।

1. छूट प्रदान करने की शक्ति :

जहाँ केन्द्रीय बोर्ड की राय में यह आवश्यक हो अथवा वह ऐसा करना उचित समझे, तो वह आदेश के कारणों को लिखित में रिकॉर्ड करते हुए तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार एवं संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके किसी वर्ग अथवा व्यक्तियों की श्रेणी से संबंधित इन नियमों के किसी उपबंध में छूट प्रदान कर सकता है।

2. शर्तें:

इन नियमों से, केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक एवं अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले आवश्यक आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रवर्तन अधिकारी/लेखाधिकारी के पद हेतु भर्ती नियम

1	पदनाम	प्रवर्तन अधिकारी / लेखाधिकारी
2	पदों की संख्या	2333 (वर्ष 2015) *कार्यभार पर निर्भर रहते हुए परिवर्तनीय
3	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'ख' गैर अनुसचिवीय
4	वेतनमान	वेतन बैंड – 2 , रु. 9300-34800 (ग्रेड वेतन रु. 4600/-)
5	क्या चयनित पद है अथवा अचयनित	चयनित
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों / आदेशों के अनुरूप सरकारी कर्मचारियों एवं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष की ढील) **नोट :** आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि (पूर्वोत्तर क्षेत्रों, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर की लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला एवं चंबा की पांगी सब डिविजन, अंडमान निकोबार दीप समूह एवं लक्षद्वीप में रहने वालों के लिए आवेदन पत्र भेजने की निर्धारित अंतिम तिथि न होकर) भारत में अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र भेजने की निर्धारित अंतिम तिथि होगी।
7	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	**आवश्यक:** किसी भी विषय में स्नातक **वांछनीय:** **क)** विधि में स्नातक/विधि में 5 वर्ष की एकीकृत डिग्री/बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स /प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा / कंपनी

		सचिव/चार्टड अकाउंटेंट/कॉस्ट एवं मैनेजमेंट अकाउंटेंट **ख)** किसी भी सरकारी अथवा सूचीबद्ध निजी संगठन में प्रशासन/लेखा/ विधिक मामलों में दो वर्ष का अनुभव । **नोट 1 :** अन्यथा उचित प्रकार से दक्ष अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी/सं.लो.से.आ. द्वारा योग्यता में ढील दी जा सकती है । **नोट 2 :** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में यदि चयन के किसी भी स्तर पर इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उनके लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो अनुभव संबंधी (योग्यताओं) के संदर्भ में छूट देना सक्षम प्राधिकारी/ संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर निर्भर है ।
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा तथा शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत किए गए मामलों में लागू होंगी ?	लागू नहीं
9	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती एवं वर्ग 'ग' के सीमित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दो वर्ष
10	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	50% पदोन्नति द्वारा 25% सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति द्वारा 25% सीधी भर्ती द्वारा
11	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, जिस ग्रेड से पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	पदोन्नति (परीक्षा कोटा के अतिरिक्त) संबंधित क्षेत्र में कार्यरत अनुभाग पर्यवेक्षक जो वेतन बैंड-2 रु. 9300-34800, ग्रेड वेतन रू. 4200/- सहित पांच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों तथा जिनकी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक हो । ii) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति द्वारा (क.भ.नि.सं. द्वारा आयोजित) क अनुभाग पर्यवेक्षक एवं कनिष्ठ हिंदी अनुवादक जो कि वेतन बैंड–2 रु. 9300-34800, ग्रेड वेतन रु. 4200/- सहित तीन वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों तथा ख वेतन बैंड – 2 रु. 9300-34800 में ग्रेड वेतन रु. 4200 सहित डाटा प्रविष्टि चालक (वर्ग–'ग') में तीन वर्ष की नियमित सेवा ऐसे डाटा प्रविष्टि चालकों सहित जिन्होंने पहले ही 5 वर्ष की नियमित सेवा डाटा प्रविष्टि चालक (ग्रेड 'ए') के रूप में पूर्ण कर ली है एवं ग वेतन बैंड- 1 रु. 5200-20200/- में ग्रेड वेतन रु. 2400 सहित में 5 वर्ष की नियमित सेवा सहित संबंधित क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक सुरक्षा सहायक / स्टेनोग्राफर / डाटा प्रविष्टि चालक (ग्रेड 'ए' एवं ग्रेड 'बी') **नोट 1:** पदोन्नति दो से चार सप्ताह, जैसा क.भ.नि.सं. द्वारा निर्धारित किया जाए, के प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूर्ण करने की शर्त पर होगी । बशर्ते विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि से पहले पदोन्नति के लिए प्रशिक्षण पूरा नहीं कर पाने वाले व्यक्तियों पर भी विचार

		किया जाएगा, बशर्ते कि अपेक्षित प्रशिक्षण, विभागीय पदोन्नति समिति (डी.पी.सी.) की बैठक की तिथि से एक वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। **नोट 2** – दो वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों को पदोन्नति के लिए दिए जाने वाले ऐसे प्रशिक्षण से छूट दी जाए। **नोट 3** – संबंधित क्षेत्र से तात्पर्य है कि सामान्य वरिष्ठता सूची बनाए रखने वाले क.भ.नि.सं. के सभी कार्यालय।
12	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो, उसके सदस्यों का विवरण	**वर्ग 'ख' : विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति/पुष्टि पर विचार हेतु) :—** 1. अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अंचल) - अध्यक्ष 2. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, संबंधित क्षेत्र के प्रभारी –सदस्य 3. क्षेत्र में क.रा.बी.निगम का एक अधिकारी जो संयुक्त निदेशक पद से कम का न हो –सदस्य
13	परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से नियुक्ति हेतु परामर्श किया जाएगा	सीधी भर्ती करते समय सं.लो.से.आ. का परामर्श आवश्यक है।

के. के. जालान, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं सचिव,
केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि

[विज्ञापन-III/4/असा./105-ए/15(230)]

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(Head Office)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2015

HRM-III/22(1)2009/DR Quota.—In exercise of the powers delegated by Central Board, Employees' Provident Fund under Sub–section 7(a) of Section 5 D of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Provident Fund Commissioner, after consultation and with the approval of Govt. of India, Ministry of Labour & Employment and Union Public Service Commission, hereby amends the Enforcement Officer/Accounts Officer Recruitment Rules, 2009, namely:—

1. Short title and commencement:

(1) These rules may be called the Employees' Provident Fund Organization (Enforcement Officer/Accounts Officer) (Amendment) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay:

The number of posts, its classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the schedule annexed to these Rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications:

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualificaton.—No Person-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living.

OR

(b) Who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person;

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Board may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax:

Where the Central Board is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Govt. of India, Ministry of Labour & Employment and Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings:

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex- Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of enforcement officer/accounts officer in Employees' Provident Fund Organisation

1	Name of the post	Enforcement Officer/Accounts Officer
2	No. of Post	2333 (Year 2015) *subject to variation dependent on workload
3	Classification	General Central Service, Group 'B', Non-Ministerial
4	Scale of Pay	PB-2 Rs. 9300 – 34800 (Grade Pay Rs. 4600/-)
5	Whether Selection post or non-selection post.	Selection
6	Age limit for direct recruits.	Not exceeding 30 years (relaxable for Govt. servants and employees of Employees' Provident Fund Organisation up to 5 years in accordance with the instructions/orders issued by the Central Government) **NOTE:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in North Eastern Region, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).
7	Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Essential:** Bachelor's Degree in any subject. **Desirable:** (a) Bachelor's Degree in Law/Integrated 5 Years Degree in Law/Masters in Business Administration/Post Graduate Diploma in Management/Company Secretary/Chartered Accountant/Cost & Management Accountant. (b) Two years experience in Administration/Accounts/Legal Matters in any Government or Listed- Private Organisation. **NOTE 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority/UPSC in the case of candidates otherwise well qualified. **NOTE 2:** Qualification(s) regarding experience is / are relaxable at the discretion of the Competent Authority/UPSC in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority/UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not Applicable.

9	Period of Probation, if any.	Two years for direct recruitment and Group 'C' incumbents qualifying the LDCE
10	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption & percentage of the vacancies to be filled by various methods.	- 50% by Promotion -25% by promotion through Limited Departmental Competitive Examination - 25% by Direct Recruitment
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	(I) Promotion (other than examination quota): Section Supervisors with five years regular service in PB-2, Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4200 serving in the respective Regions and possessing the minimum educational qualification of matriculation. (II) Promotion through Limited Departmental Competitive Examination (Conducted by EPFO): (A) Section Supervisors and Junior Hindi Translators with three years regular service in PB-2, Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4200, and (B) Data Entry Operator(Grade 'C') with three years regular service in PB-2, Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4200 including those Data Entry Operator (Grade 'C') who have already put in 5 years regular service in Data Entry Operator (Grade 'A'), and (C) Social Security Assistants / Stenographers / Data Entry Operator (Grade 'A' and Grade 'B') with five years regular service in PB-1 Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2400 and serving in the respective regions. **NOTE 1:** Promotion shall be subject to successful completion of two to four weeks of training as devised by EPFO. Provided that those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of DPC will also be considered subject to the condition that the required training will be completed within one year of the date of meeting of DPC. **NOTE 2:** Those persons who are due to retire within two years may be exempted from completion of such training for promotion. **NOTE 2:** Respective Region means all offices of EPFO maintaining a common seniority list.
12	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Group 'B' : Departmental Promotion Committee (for considering promotion/ confirmation): (i) Addl. Central Provident Fund Commissioner (Zone) —Chairman (ii) Regional Provident Fund Commissioner in-charge of respective region —Member (iii) An officer of ESIC in the region not below the rank of Joint Director —Member
13	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

K. K. JALAN, Central Provident Fund Commissioner and Secretary,
Central Board Employees' Provident Fund

[ADVT III/4/Exty./105-A/15 (230)]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.